न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
6(ए) वाद संख्या–46/2015
बिहार सरकार बनाम अब्दुल बाहीद

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित

17/04/15

आदेश

सरकार की ओर से हाजरी प्राप्त।

पुकार पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–416 दिनांक–25.03.2015 से लहेरियासराय थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या–119/15 में निम्नलिखित जप्त सामग्री को अधिहरण करने की अनुशंसा की गयी है।

01. इण्डेन कम्पनी का घरेलू उपयोग (14.2 के0जी0) का सील्ड सिलिण्डर–01
02. इण्डेन कम्पनी का घरेलू उपयोग (14.2 के0जी0) का सील खुला हुआ भरा सिलिण्डर–01
03. एच0पी0 कम्पनी का घरेलू उपयोग (14.2 के0जी0) का खाली सिलिण्डर–01
04. छोटा–05 के0जी0 का खाली सिलिण्डर लोकल कम्पनी का पुराना–05
05. रिफिलिंग उपकरण पाईप सहित–01
06. तराजू रांडो कम्पनी का–01
07. तराजू स्प्रींग बैलेन्स–01
08. खाली 05 के0जी0 का लोकल कम्पनी का सिलिण्डर नया–04
09. वटखाड़ा 5 के0जी0 का–01, 02 किलोग्राम का 03, 1 कि0ग्रा0 का 02, आधा कि0ग्रा0 का–02, 200 ग्राम का 01, 100 ग्राम का 01, 50 ग्राम का 01
10. 50 लीटर किरासन तेल ब्लू गैलन में।
11. 20 लीटर किरासन तेल पीला गैलन में।
12. 02 पीस एल.पी.जी. गैस रिफिलिंग भॉल्व।

उपरोक्त जप्त सामग्री के कमांक–1,2, एवं 3 जो इण्डेन एवं एच0पी0 गैस वितरक कम्पनी का कमरा एवं खाली सिलिण्डर है जिससे संबंधित वितरक को जिम्मेनामा पर सौपते हुए सिलिण्डर में भरे गैस का मूल्य एवं कमांक–10 एवं 11 पर किरासन तेल को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से लाभुको के बीच वितरण कारकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा करने का आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं। साथ ही क्रमांक–4 से 9 तक एवं 12 पर दर्ज सामग्री को सुरक्षित ढ़ंग से मालखाना में रखने हेतु थानाध्यक्ष लहेरियासराय को आदेश देने का अनुरोध करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदन के सूची कमांक–01,02,03 एवं 10,11 का विनष्ट होना संभाव्य है, जिस कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश

दिया जाता है कि क्रमांक–01, 02 एवं 03 को सम्बन्धित गैस वितरक को जिम्मेनामा पर गैस सिलिण्डर सौपते हुए उसमें भरे गैस का राशि एवं क्रमांक–10 एवं 11 में जप्त किरासन तेल को स्थानीय जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम लाभुको के बीच वितरण कराकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें।

थानाध्यक्ष लहेरियासराय को आदेश दिया जाता है कि क्रमांक–04 से 09 एवं 12 को सुरक्षित ढ़ंग से मालखाना में जमा रखेंगे, ताकि वाद के निर्णय उपरांत संबंधित को हस्तगत कराया जा सके।

विपक्षी के सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत करे।

अभिलेख पुनः दिनांक–26/6/15 को रखे।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।